भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *109

गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

महिला श्रम बल भागीदारी दर कम होने के निहितार्थ

*109. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि नवीनतम आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) पुरुष एलएफपीआर से 28 प्रतिशत कम है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोजगार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका निहितार्थ क्या है;
- (ग) क्या महिला एलपीएफआर के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री (डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (डं): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"महिला श्रम बल भागीदारी दर कम होने के निहितार्थ" के संबंध में श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक द्वारा दिनांक 01-08-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *109 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ड⁻): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 की अविध के दौरान, देश में सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका के निम्नानुसार है:

सर्वेक्षण वर्ष	श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) (%)	
	महिला	सभी व्यक्तियों
2017-18	23.3	49.8
2018-19	24.5	50.2
2019-20	30.0	53.5
2020-21	32.5	54.9
2021-22	32.8	55.2
2022-23	37.0	57.9

स्रोतः पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले छह वर्षों के दौरान श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी नियमित रूप से बढ़ रही है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल/उपाय किए उठाए हैं।

सरकार ने महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान जैसे सवैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, क्रेच स्विधा, समान वेतन आदि शामिल किए हैं।

सरकार, महिला एलएफपीआर के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- िकरण (वाइज-िकरण), सर्ब-पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, आदि जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अविध में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और उपायों के प्रधान मंत्री पैकेज की घोषणा की है।
